<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>10.02.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने **मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य** के खिलाफ मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 31/01/2025 को 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में पश्चिम बंगाल में स्थित आवासीय संपत्तियां, कार्यालय स्थान, जमीन और वाणिज्यिक दुकानें शामिल हैं। इन संपत्तियों का लाभकारी स्वामित्व कॉनकास्ट समूह के सीएमडी संजय कुमार सुरेका के पास है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), बीएसएफबी, कोलकाता द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। निधियों का डायवर्जन/गबन, बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना, बैलेंस शीट में हेराफेरी करना इत्यादि और तदनुसार आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को 6210.72 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) की धोखाधड़ी की है।

संजय सुरेका द्वारा प्रवर्तित और कोलकाता में मुख्यालय वाली मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं संचालित कीं, जिसमें स्पंज आयरन, पिग आयरन, माइल्ड स्टील, रोल्ड उत्पाद, टीएमटी बार, एंगल्स, चैनल और फेरोएलॉय का उत्पादन किया गया।

उधारकर्ता कंपनी मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड ने बैंकों के संघ से टर्म लोन, सीसी, लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) सहित कई क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। इनमें से अधिकांश एलसी बाद में हस्तांतरित कर दिए गए। इनमें से अधिकांश एलसी संबंधित पक्षों के नाम पर खोले गए, जहां से फंड को समूह की कंपनियों और व्यक्तिगत खातों में डायवर्ट किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि प्रमोटर ने बैंकों के संघ से प्राप्त ऋण निधियों को डायवर्ट करने और लूटने के इरादे से अपने कर्मचारियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर फर्जी संस्थाओं का जाल बिछाया था। डायवर्ट की गई धनराशि का इस्तेमाल निजी खर्चों और विभिन्न अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया। आगे की जांच जारी है।